



Neutral Citation No. - 2026:AHC:43109-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

क्रिमिनल मिस. रिट याचिका संख्या - 3664/2026

श्रीमती राजौती देवी

----- याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 9 अन्य

----- प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : सुनील कुमार

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता,

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव,

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।
2. प्रारंभ में ही विद्वान ,अपर शासकीय अधिवक्ता ने बताया है कि इस मामले में जांच पहले ही पूरी हो चुकी है और अभियुक्तों के खिलाफ वर्ष में ही आरोपपत्र दाखिल 2023 किया जा चुका है।
3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने उपरोक्त तथ्य का खंडन नहीं किया लेकिन उन्होंने कहा कि वे इस रिट याचिका को आगे नहीं बढ़ाना चाहते और इसे वापस लेना चाहते हैं।
4. उपरोक्त के मद्देनजर इस रिट याचिका को वापस लिया हुआ मानकर खारिज किया जाता है।

(अचल सचदेव, न्यायमूर्ति) (राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति)

25 फरवरी, 2026

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।